उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या– 5882/77–4–24/82 अपील/22
लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 2024

शुद्धि–पत्र

यूपीसीडा में मै0 निवो आईकॉन को आवंटित भूखण्ड संख्या–जे–100, औद्योगिक क्षेत्र मथुरा–बी, मथुरा के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 28.08.2022 द्वारा लगाये गये समय विस्तारण शुल्क के विरूद्ध उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत योजित पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में निर्गत आदेश संख्याः–5609/77–4–24–82अपील/22, दिनांक 28.09.2024 के अंतिम प्रस्तर–4 में टंकक त्रुटिवश **"दोनों पक्षों को सुना गया। सुनवाई के समय पुनरीक्षणकर्ता तथा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत अभिकथन एवं अभिलेखों के सम्यक् परिशीलन एवं विश्लेषण के यूपीसीडा को निर्देशित किया जाता है कि आवंटी 30 दिन के अन्दर समय विस्तारण शुल्क प्राधिकरण में जमा कराकर प्रश्नगत भूखण्ड की लीजडीड निष्पादित करायें। यदि संस्था द्वारा समयान्तर्गत लीजडीड का निष्पादन नहीं कराया जाता है तो भूखण्ड संस्थागत भूखण्ड संख्या–13–14, सेक्टर–106 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पारित आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 29.03.2023 को निरस्त करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड को पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में सशुल्क पुनर्स्थापित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त पुनरीक्षणकर्ता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूखण्ड पर दिनांक 31.12.2024 तक निर्माण कार्य को पूर्ण कर प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र कर लें यदि निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण स्व स्तर से निर्णय हेतु स्वतंत्र होगा।**

एतदद्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।" अंकित हो गया है।

2. अतः आदेश संख्याः–5609/77–4–24–82अपील/22, दिनांक 28.09.2024 के अंतिम प्रस्तर–4 को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

> **"दोनों पक्षों को सुना गया। सुनवाई के समय** पुनरीक्षणकर्ता **तथा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत अभिकथन एवं अभिलेखों के सम्यक् परिशीलन एवं विश्लेषण के उपरान्त यूपीसीडा को निर्देशित किया जाता है कि आवंटी से 30 दिन के अन्दर समय विस्तारण शुल्क प्राधिकरण में जमा कराकर प्रश्नगत भूखण्ड की लीजडीड निष्पादित करायें। यदि आवंटी द्वारा समयान्तर्गत लीजडीड का निष्पादन नहीं कराया जाता है तो प्राधिकरण स्व स्तर से निर्णय हेतु स्वतंत्र होगा।**
>
> **एतदद्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।"**

3. अतः आदेश संख्याः–5609/77–4–24–82अपील/22, दिनांक 28.09.2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए एवं उक्त आदेश की शेष शर्तें/प्राविधान यथावत रहेंगी।

मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास आयुक्त।

संख्याः–5882 (1)/77–4–24तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।
2. श्री मोहन कोहली, अधिकृत हस्ताक्षरी, मै0 निवो आईकॉन ।
3. मो0 वली अब्बास, निदेशक, आई0टी0, इन्वेस्ट यूपी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय वीर सिंह)
संयुक्त सचिव।